रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062022-236789 CG-DL-E-24062022-236789

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446] No. 446] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2022/आषाढ़ 3, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2022/ASHADHA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2022

सा.का.नि. 467(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
- "(घक) 'संवृत उपयोगकर्ता फीस संग्रहण प्रणाली' से ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जिसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे पर यांत्रिक यानों द्वारा तय की गई वास्तविक यात्रा की दूरी के आधार पर फीस उद्गृहित की जाती है।" ।
- 3. नियम 8 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
- "(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही, ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे जिस पर संवृत उपयोगकर्ता फीस संग्रहण प्रणाली संस्थापित की गई है, पर फीस प्लाजा स्थापित कर सकेगा।"।

4214 GI/2022 (1)

- 4. उक्त नियमों के नियम 9 में,--
- (क) उपनियम (3) के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
- "परतु यह भी कि ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे जिस पर संवृत उपयोगकर्ता फीस संग्रहण प्रणाली के आधार पर फीस उद्गृहित की जाती है, पर यात्रा करने के लिए कोई ऐसा पास जारी नहीं किया जाएगा।" ।
- (ख) उपनियम (3क) के पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परतु यह भी कि ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे जिस पर संवृत उपयोगकर्ता फीस संग्रहण प्रणाली के आधार पर फीस उद्गृहित की जाती है, पर यात्रा करने के लिए ऐसी कोई रियायत नहीं दी जाएगी।" ।

[फा. सं. एच-25016/02/2022-टोल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए थे और उन्हें तत्पश्चात्, सा.का.नि. संख्यांक 950(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2010; सा.का.नि. संख्यांक 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011; सा.का.नि. संख्यांक 756(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011; सा.का.नि. संख्यांक 778(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2013; सा.का.नि. संख्यांक 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014; सा.का.नि. संख्यांक 831(अ), तारीख 21 नवंबर, 2014; सा.का.नि. संख्यांक 2(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2014; सा.का.नि. संख्यांक 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015; सा.का.नि. संख्यांक 585(अ), तारीख 8 जून, 2016; सा.का.नि. संख्यांक 1114(अ), 2 दिसंबर, 2016; सा.का.नि. संख्यांक 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017; सा.का.नि. संख्यांक 427(अ), तारीख 7 मई, 2018; सा.का.नि. संख्यांक 920(अ), तारीख 25 सितंबर, 2018; सा.का.नि. संख्यांक 942(अ), तारीख 20 दिसंबर, 2019; सा.का.नि. संख्यांक 942(अ), तारीख 15 मई, 2020; सा.का.नि. संख्यांक 523(अ), तारीख 24 अगस्त, 2020 और सा.का.नि. संख्यांक 804(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2020 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2022

- **G.S.R. 467(E).**—In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—
- "(da) "closed user fee collection system" means a system under which the fee is levied based on the actual distance travelled by a mechanical vehicle, on a national highway or expressway.".
- 3. In rule 8 of the said rules, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
- "(3) Notwithstanding anything in sub-rules (1) and (2), the executing authority or the concessionaire may establish fee plaza on the national highway or expressway on which the closed user fee collection system has been installed."

- 4. In rule 9 of the said rules,-
- (a) in sub-rule (3), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—
- "Provided also that no such pass shall be issued for commuting on a national highway or expressway on which fees is levied based on the closed user fee collection system.".
- (b) in sub-rule (3A), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
- "Provided further that no such concession shall be provided for commuting on a national highway or expressway on which fees is levied based on the closed user fee collection system.".

[F. No. H-25016/01/2022-Toll]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. No. 838(E), dated the 5th December, 2008 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. No. 950(E), dated the 3rd December, 2010; G.S.R. No. 15(E), dated the 12th January, 2011; G.S.R. No. 756(E), dated the 12th October, 2011; G.S.R. No. 778(E), dated the 16th December, 2013; G.S.R. No. 26(E), dated the 16th January, 2014; G.S.R. No. 831(E), dated the 21st November, 2014; G.S.R. No. 2(E), dated the 29th December, 2014; G.S.R. No. 220(E), dated the 23rd March, 2015; G.S.R. No. 585(E), dated the 8th June, 2016; G.S.R. No. 1114(E), dated the 2nd December, 2016; G.S.R. No. 248(E), dated the 14th March, 2017; G.S.R. No. 427(E), dated the 7th May, 2018; G.S.R. No. 920(E), dated the 25th September, 2018; G.S.R. No. 942(E), dated the 20th December, 2019; G.S.R. No. 298(E), dated the 15th May, 2020; G.S.R. No. 523(E), dated the 24th August, 2020 and G.S.R. No. 804(E), dated the 30th December, 2020.